12/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

तारीख रजू– 08/01/14

विविध प्रार्थना पत्र 01/14

किशोरीलाल पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी पीलौदा ,तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर। ----प्रार्थीगण

बनाम

----अप्रार्थीगण

तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

दिनांक– 19/04/2017

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह विविध प्रार्थना पत्र तहसीलदार वजीरपुर द्वारा जारी किया गया सूचना पत्र कमांक 13/आर0ए0/950 दिनांक 23/09/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही उक्त सूचना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सूनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि प्रार्थी को अप्रार्थी ने दिनांक 23/09/2013 को इस आशय का एक नोटिस जारी किया कि श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 01/02/2012 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी का आदेश निरस्त किया जाता है तथा उभय पक्ष अपनी अपनी सीमा तक सीमाज्ञान कराया जावे। उक्त निर्णय की पालना में अप्रार्थी एक भी दिन मोके पर नहीं गये है, ना ही उन्होने सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु पक्षकारों को सूचित किया है और बिना सूचना के ही दुसरे पक्ष के दबाब में आकर भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने सूचना पत्र दिनांक 10/07/2013 में यह अंकित किया है कि दोनों पक्षों को सीमाज्ञान कराने हेतु गये थे। जबकि उक्त तथ्य बिल्कुल मिथ्या है। प्रार्थी को इस संबंध में आंदिनांक तक सूचना नहीं है ना ही सीमाज्ञान की रिपोर्ट पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त वाद आराजीयात पर अतिक्रमण हटाने हेतु धारा 183 बी की कार्यवाही न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दी थी। इसलिए तहसीलदार द्वारा किया गया बेदखल करने का नोटिस गलत है,शून्य है ,साथ ही उक्त विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार वजीरपुर द्वारा जारी किया गया सूचना पत्र कमांक 13/आर0ए0/950 दिनांक 23/09/2013 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

13
A

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय हाजा की अपील संख्या 787/10 में पारित निर्णय दिनांक 01/07/2012 द्वारा उक्त आदेश की एक प्रति अप्रार्थी को इस निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की थी कि उभय पक्षकारान का सीमाज्ञान करवाया जाकर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित रकबे की सीमा तक अपनी अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज रहने हेतु पाबन्द किया जावे। जिस क्रम में ही पत्र क्रमांक 13/आर0ए0/950 दिनांक 23/09/2013 जारी किया गया है कोई पृथक निर्णय पारित नहीं किया गया है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर पत्र क्रमांक 13/आर0ए0/950 दिनांक 23/09/2013 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

बहस सुनी। पत्रावली को गहन अध्ययन किया। न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 787/10 निर्णय दिनांक 01/07/2012 को तहसीलदार को को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी कि उभय पक्षकारान का सीमाज्ञान करवाया जाकर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित रखबे की सीमा तक अपनी अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज रहने हेतु पाबन्द किया जावे। जिसकी पालना में अप्रार्थी (तहसीलदार वजीरपुर) ने आलोच्य सूचना पत्र क्रमांक 13/आर0ए0/950 दिनांक 23/09/2013 जारी किया । जिसको मोजूदा अपील में निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि आलोच्य पत्र दिनांक 23/09/2013 कोई पृथक से आदेश नहीं है। जबकी अपील संख्या 787/10 निर्णय दिनांक 01/07/2012 वउनवानी कमलेश वगै0 बनाम रधुवीर वगै0 की पालना में जारी किया गया है जो कि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 21 की विभिन्न उपधाराओं के तहत पालना मात्र है। जिसकी अपील इस न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई योग्य व पोषनीय योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर द्वारा जारी किया गया सूचना पत्र क्रमांक 13/आर0ए0/950 दिनांक 23/09/2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/04/2017 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर